



२८/१/१

प्रमाण- 2286709
2206/10

नगर बेतना गोदा, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2127 / 36 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : २० अगस्त 2015

सेवा में

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-बागपत।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्थीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसरी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	3700000102051311	IFSC Code PNND00370000	370.220 (धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की रांख्या	किश्त रांख्या	अवमुक्ता धनराशि
1	बागपत/खेकड़ी योग	83	228	1	370.220 370.220

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिह्नित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- उ0प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत रथीकृत डी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रथीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों द्वारा लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उ0प्र० शाशन द्वारा निर्धारित द्वाज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्थीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य यूद्धि मान्य नहीं होगी।



२८/२

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

दृष्टान्त 226
2286

नव चेतना केन्द्र, 10 अखोक मार्ग, लखनऊ-22000

- 5— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्ण रथानीयम केन्द्र, राज्य व रथानीय कर्तों की रत्नोत्त पर कठीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्ती के अनुपालन का व्याप रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवल्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी रुचिश्वत किया जायेगा।
- 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रक्षित की गई है। किसी प्रकार का व्यवहार अनुमत्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के राबन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से दूडा द्वारा एमोओयू (अनुबन्ध) निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगा।
- 8— दूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सामेश्वर व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप रथल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवल्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण रथानीय रतर पर दूडा के सामायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा रुचिश्वत किया जायेगा।

मवदीय,
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निर्माणित को रूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
- निदेशक, री०१० एण्ड ढी०एस०, ज०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- श्री रांजीव अग्रवाल, सामायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
- कार्यपाल सेल-सूडा।
- लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक